



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय : महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

पत्रांक : 35 / सू.एवं.लो.सं.वि.(इलै.मी)-08 / 2011

दिनांक : 14 जुलाई 2022

Expression of Interest (EOI) For Bulk SMS & Voice Call (OBD) services

राज्य सरकार की नीतियों, शासकीय योजनाओं एवं जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार-प्रसार आमजन में बल्क Bulk SMS and Voice Call (OBD) के माध्यम से किये जाने हेतु सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा डी.ए.वी.पी. (Bureau of Outreach and Communication) में Bulk SMS and Voice Call (OBD) कार्य हेतु सूचीबद्ध फर्मों से डी.ए.वी.पी. दरों पर कार्य करने हेतु प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

उक्त कार्य हेतु Expression of Interest (EOI) के समस्त अभिलेख एवं EOI हेतु शर्तों से संबंधित सभी अभिलेख स्कैन कर PDF. Format में पैन ड्राइव में सीलबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 30 जुलाई, 2022, सायं 5.00 बजे तक कक्ष संख्या-115, प्रथम तल, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड में जमा कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों को दिनांक 01 अगस्त, 2022 को प्रातः 11.00 बजे विभागीय सभागार में आवेदकों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों ही दशाओं में खोला जायेगा। EOI से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य अभिलेख विभागीय वेबसाइट <http://www.uttarainformation.gov.in/> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

ह./-

(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय : महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

Expression of Interest (EOI) For Bulk SMS & Voice Call (OBD) services

राज्य सरकार की नीतियों, शासकीय योजनाओं एवं जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार-प्रसार आमजन में बल्क Bulk SMS and Voice Call (OBD) के माध्यम से किये जाने हेतु सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा डी.ए.वी.पी. (Bureau of Outreach and Communication) में Bulk SMS and Voice Call (OBD) कार्य हेतु सूचीबद्ध फर्मों से डी.ए.वी.पी. दरों पर कार्य करने हेतु प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

भारत सरकार के डी.ए.वी.पी.(Bureau of Outreach and Communication) में वर्तमान में सूचीबद्ध फर्मों दिनांक 30 जुलाई, 2022, सायं 5.00 बजे तक कक्ष संख्या-115, प्रथम तल, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून में उक्त कार्य हेतु Expression of Interest (EOI) समस्त अभिलेख एवं EOI हेतु शर्तों से संबंधित सभी अभिलेख स्कैन कर PDF. Format में पैन ड्राइव में सील बंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर विभाग में जमा कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों को दिनांक 01 अगस्त, 2022 को प्रातः 11.00 बजे विभागीय सभागार में आवेदकों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों ही दशाओं में खोला जायेगा। EOI से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य अभिलेख विभागीय वेबसाइट <http://www.uttarainformation.gov.in/> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

EOI हेतु शर्तें :

1. फर्म/एजेंसी/कंपनी को Bulk SMS/Voice Call (OBD) के माध्यम से कार्य किये जाने हेतु डी.ए.वी.पी. (Bureau of Outreach and Communication) में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। पुष्टि हेतु BOC द्वारा निर्गत प्रमाणित/सत्यापित अभिलेख संलग्न करना होगा। जिन शर्तों/नियमों के आधार पर फर्म डी.ए.वी.पी. में सूचीबद्ध हुई है वे सभी शर्तें वर्तमान सूचीबद्धता का अनिवार्य अंग होंगे। यह फर्म/एजेंसी/कंपनी का दायित्व होगा कि उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में सूचीबद्ध होने के लिये डी.ए.वी.पी. की समस्त शर्तों का पालन करें।
2. फर्म/एजेंसी/कंपनी को Bulk SMS/Voice Call (OBD) कार्य हेतु भारत सरकार के डी.ए.वी.पी. (Bureau of Outreach and Communication) से निर्गत अनुबंधित दरों की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. फर्म/एजेंसी/कंपनी का उक्त कार्य हेतु स्वयं का उत्तराखण्ड राज्य के मोबाईल नंबरों का डाटाबेस होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
4. फर्म/एजेंसी/कंपनी के पास न्यूनतम 75 लाख Bulk SMS/Voice Call (OBD) प्रतिदिन करने की क्षमता होनी चाहिये तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न कराना होगा।
- 5- फर्म/एजेंसी/कंपनी को TRAI में पंजीकरण संबंधी अभिलेख भी संलग्न करना होगा।
6. फर्म/एजेंसी/कंपनी को जी.एस.टी. व पैन कार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म का कार्यालय देहरादून में होना आवश्यक है। यदि कार्यालय नहीं है, तो सूचीबद्धता के 15 दिन के भीतर कार्यालय देहरादून में स्थापित करते हुए अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा। पुष्टि हेतु किरायानामा/बिजली बिल संलग्न करना होगा।

अन्य शर्तें

1. चयनित फर्म/एजेंसी/कंपनी को रू. 10,00,000/—(रूपये दस लाख मात्र) का Performance guarantee in form of बैंक गारंटी/एफ.डी.आर Pledged in favour of Director General, DIPR जमा करना होगा, जो विभाग द्वारा सूचीबद्धता के कार्यकाल तक बन्धक रखी जायेगी।
2. उक्त कार्य हेतु फर्म/एजेंसी/कंपनी को 02 वर्ष हेतु विभाग में सूचीबद्ध किया जायेगा। उक्त सूचीबद्धता को विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार विस्तारित भी किया जा सकता है।

3- SCOPE OF WORK/TASKS/ACTIVITIES

| Sl. No. | Items | Quantity & Duration |
|---------|--|---|
| 1. | Sending the assigned Voice Call (OBD) | 75 lac OBD's in a day during the permitted operation hours. |
| 2. | Sending Bulk Short Messages(SMS) in Unicode & English as per the supported handset | 75 Lac SMS in a day during the Permitted operating hours. |
| 3. | Sender Id : DIPR UK | |

4. फर्म/एजेंसी/कंपनी को निर्गत कार्यादेश के सापेक्ष केवल वास्तविक SMS/Voice Call (OBD) Delivered पर ही भुगतान किया जायेगा। फर्म को केवल डी.ए.वी.पी. दरों पर ही भुगतान किया जायेगा। डी.ए.वी.पी. दरों के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि देय नहीं होगी। जी.एस.टी. का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
5. फर्म/एजेंसी/कंपनी को कार्य पूर्ण होने के उपरांत बीजक एवं आवश्यक प्रमाण पत्र/अभिलेख/शपथ पत्र/सी.डी.आर./स्क्रीन शॉट इत्यादि डी.ए.वी.पी. की शर्तों के अनुरूप प्रदान करने होंगे। यदि विभाग को किसी अन्य प्रमाण पत्र शपथ पत्र की आवश्यकता होती है, तो वह भी फर्म द्वारा प्रदान किया जायेगा।
6. भारत सरकार के डी.ए.वी.पी. (Bureau of Outreach and Communication) द्वारा यदि उक्त सूचीबद्धता अवधि में कोई संशोधन/परिवर्तन किया जाता है, जिसमें उक्त कार्य हेतु दरों में वृद्धि अथवा कमी भी शामिल हो, तो तदनुसार विभाग द्वारा कार्यादेश निर्गत/भुगतान किया जायेगा।
7. फर्म/एजेंसी/कंपनी को उक्त कार्य हेतु सूचीबद्धता होने का आशय यह नहीं होगा कि वह विज्ञापन का हकदार है। विभागीय आवश्यकता के अनुसार उक्त कार्य सूचीबद्ध फर्म से कराया जायेगा।
8. फर्म/एजेंसी/कंपनी को सूचीबद्ध करने अथवा नहीं करने का अधिकार महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड को होगा।
9. किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड

Format for AFFIDAVIT

(On not less than Rs. 100/- stamp paper)

I / We, who is / are Authorized to sign and submit the proposal against your EOI [title and reference number of the Invitation for proposals] do hereby undertake as follows:

i. all the statements, documents, testimonials, certificates, etc., uploaded are genuine and the contents thereof are true,

ii. any of our personnel, representatives, sub-consultants, sub-Service Providers, service providers, Service Providers and/or their employees will not directly or indirectly, engage in any activity that may intervene, interfere and/or influence the procurement process at any stage,

iii. indemnify and compensate the DIPR from any penalties and costs that may be incurred due to lapse/s on our part including incorrect / misrepresented / forged documents or statements,

iv. our Firm/agency/Company, M/s..... are not blacklisted by any ministry / department / undertaking of Government of India, any State government or any Union territory administration in India as on the last date of proposal submission.

v. Mr/Ms.....are authorized representative for Uttarakhand State.

vi. our Firm/agency/Company, M/s..... is empanelled on DAVP (BOC) as bellow mention :

A. For Bulk SMS

| Bulk SMS | Rate per SMS (in Paisa) Net rate excluding GST |
|----------|---|
| | |

B. For Out Bound Dialer (OBD)

| For Out Bound Dialer (OBD) | Description | Rate per Call (in Paisa) Net rate excluding GST |
|----------------------------|------------------------------|--|
| | Call upto 15 Seconds | |
| | Call upto 15-30 Seconds | |
| | Call of more than 30 Seconds | |

Above mention rates are True and approved by DAVP.

If we are found contravening this undertaking even after award of contract in our favour or anyone else, we accept disciplinary action by the DIPR including rejection of our proposal, annulment of contract and blacklisting.

Authorized signatory for the Service Provider

Signed: _____

Name: _____

Designation: _____

Date: _____

(Notarised)
(Name, Title and Address of the Attorney)
Accepted
(Signature)

Witnesses:

1.

2.

Duly Authorised to sign this Authorization on behalf of: [insert complete name of Service Provider]

